सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025 / 769 दर्ज तिथिः— 21.11.2025

1. दोला पुत्र भीमा
2. मेहरा पुत्र भीमा

जाति कलबी, निवासी खारवा पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी।

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. भुरा पुत्र प्रागाराम
2. अगराराम पुत्र आदाराम
3. दिनेश कुमार पुत्र आदाराम
4. भमराराम पुत्र आदाराम
5. भवानीराम पुत्र आदाराम
6. केसी देवी पत्नी आदाराम
7. अणदाराम पुत्र वीरमाराम
8. पन्नाराम पुत्र वीरमाराम
9. प्रभुराम पुत्र वीरमाराम
10. भावाराम पुत्र वीरमाराम
11. भादाराम पुत्र वीरमाराम
12. देवूदेवी पत्नी वीरमाराम
13. इन्दू पुत्री उकरड़ाराम
14. तजा पुत्र उकरड़ाराम
15. हबताराम पुत्र उकरड़ाराम
16. गणेशााराम पुत्र भगवानाराम
17. जीवाराम पुत्र भगवानाराम
18. नारणाराम पुत्र भवानाराम
19. भीखाराम पुत्र भगवानाराम
20. सादूलाराम पुत्र भगवानाराम
21. राजाराम पुत्र भगवानाराम
22. आदाराम पुत्र होथीराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.18 18:51:21 IST
Reason: SelfAttested

23. निम्बाराम पुत्र होथीराम
24. कचराराम पुत्र गंगदाराम
25. कानाराम पुत्र गंगदाराम
26. जेठाराम पुत्र गंगदाराम
27. रणछोड़ाराम पुत्र गंगदाराम
28. जगाराम पुत्र रावताराम
29. वलाराम पुत्र रावताराम
30. हराराम पुत्र रावताराम
31. दवाराम पुत्र पदमाराम
32. महादेवाराम पुत्र पदमाराम
33. हरदाराम पुत्र उमाराम
34. मीरोदेवी पत्नी उमाराम
35. भारमल पुत्र धीराराम फौता कायम मुकाम वारिशान
    35/1. लुम्बाराम पुत्र भारमलराम
    35/2. वघाराम पुत्र भारमलराम
36. ईशराराम पुत्र रणछोड़ारा
37. पूरखाराम पुत्र हरदाराम
38. श्रवणराम कलबी पुत्र हरदानराम
39. भलाराम पुत्र ईशराराम
40. मेघाराम पुत्र ईशराराम
41. हरदाराम पुत्र ईशराराम
42. आदा पुत्र वीरा
43. करना पुत्र वीरा
44. पांचा पुत्र वीरा
45. अचला पुत्र वजा
46. अदाराम पुत्र भीमाराम
47. रामाराम पुत्र भीमाराम

कौम कलबी, उम्र सभी बालिंग निवासी खारवा, पटवार मण्डल भखरपुरा, तहसील गुड़ामालानी।

...........असल अप्रार्थीगण

48. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

.................तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री चिमनसिंह
अप्रार्थीगणः— एकतरफा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.18 18:51:21 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 12.02.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 538 रकबा 3.3508 है0 मौजा खारवा पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 23.10.2025 की पालना में दिनांक 28.10.2025 को पटवारी हल्का भाखरपुरा द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 538 रकबा 3.3508 है0 मौजा खारवा पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी की पत्थरगढ़ी दिनांक 28.10.2025 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 28.10.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.****—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.18 18:51:21 IST
Reason: SelfAttested

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

128. Boundary disputes. *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—76 वाकै ग्राम खारवा में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुडामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम खारवा के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 28. 10.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.18 18:51:21 IST
Reason: SelfAttested

दोला बनाम भूरा
2025/769
निर्णय दिनांकः—12.02.2026

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 538 रकबा 3.3508 है0 मौजा खारवा पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/ हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुडामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 12.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.18 18:51:21 IST
Reason: SelfAttested